दिल्ली धमाके के बाद रीवा में अलर्ट जारी

होटल व स्टेशन में की जांच, टीम के साथ सड़कों पर उतरे एसपी

रीवा, 11 नवम्बर. दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद जिले में अलर्ट जारी किया गया है. पुलिस अलर्ट मोड़ में आने के साथ सोमवार की रात से सभी जगह चेकिंग शुरू कर दी है.

बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं भीड़ वाले स्थानों पर सर्च एवं चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है. रीवा एसपी शैलेन्द्र सिंह के निर्देश पर सभी जगह चेकिंग की जा रही है और बार्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है. बाहर से आने जाने वाले वाहनो पर कड़ी नजर रखी जा रही है. जिले में कानून व्यवस्था मजबूत रखने और आम जनता में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिये सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया है. पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने टीम के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चिरहुला मंदिर, शिल्पी प्लाजा सहित विभिन्न स्थानों का खुद निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये. पुलिस ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलो के अलावा महत्वपूर्ण स्थानों पर अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस की नजर है. इसके साथ ही अपराधियों और कानून व्यवस्था भंग करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी. मंगलवार को दिन भर सीएसपी एवं थाना प्रभारी होटल, लाज, थिएटर में जांच की. इसके साथ ही पार्किंग स्थलो काभी निरीक्षण किया गया. विभिन्न चौराहो में पुलिस तैनात रही. सोमवार से ही सभी जगह पुलिस की चौकसी बढ़ गई है.

इंदौर : शहरभर में सख्त चेकिंग अभियान शुरू

इंदौर. दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद इंदौर पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. पुलिस कमिश्नर के निर्देशानुसार शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. राजवाड़ा क्षेत्र में पुलिस ने हर आने-जाने वाले वाहन की कड़ी जांच शुरू की है. बैग, कार और दोपहिया वाहनों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है. साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखी जा रही है. पुलिस की टीमों ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भी चेकिंग अभियान तेज कर दिया है. सुरक्षा के मद्देनजर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

थाना क्षेत्रों में रखें पूर्ण सतर्कता : एसपी

दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एसपी ने ली आपात बैठक

नीमच, 11 नवंबर. पुलिस अधीक्षक श्री अंकित जायसवाल द्वारा दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट को लेकर को जिलें के राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारियों की बैठक ली.

पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये गये. जिसमे अपने अपने थाना क्षेत्रों में स्थित रेल्वे स्टेशन, बस स्टेन्ड, शापिंग मॉल आदि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर आवश्यक रूप से सर्चिग अभियान चलाया जाकर संद्गिग्धों की चैकिंग सुनिश्चित करें. थाना क्षेत्रों में स्थित विस्फोटक मैग्जिनों की चैकिंग की जावें एवं उनके स्टॉक का मिलान कर अनियमितता पाये जाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावें. थाना प्रभारी थाना क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थलों पर पुलिस की दृश्यता सुनिश्चित की जावें. थाना प्रभारी संवेदनशील स्थानों पर फिक्स पाईंट लगाना सुनिश्चित करें. अपने अपने थाना क्षेत्रों में स्थित होटल, लॉज, ढाबों की नियमित चैकिंग सुनिश्चित की जावें. थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र के असामाजिक तत्वों एवं गुण्डों, बदमाशों की नियमित चैकिंग सुनिश्चित करें.

थाना क्षेत्रों में निवासरत किरायेदारों एवं घरेलू नौकरो की चैकिंग सुनिश्चित करें.इसके अतिरिक्त थाना प्रभारी लंबित अपराधों, लंबित मर्ग, लंबित माल, लंबित चालान का शीघ्र निराकरण करवाना सुनिश्चित करें.

थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी स्वयं रात्रि में क्षेत्रों में लगने वाली गश्त को प्रभावी रूप से करवाना सुनिश्चित करें. पुलिस कन्ट्रोल रूम पर आयोजित आपात बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनासा श्रीमती शाबेरा अंसारी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जावद श्री रोहित राठौर सहित जिलें के समस्त थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी उपस्थित रहें. अभियान मुस्कान के तहत अधिक से अधिक बालक बालिकाओं की दस्तयाबी सुनिश्चित करें.

डीएमएफ से होगी करोड़ों की सामग्री खरीदी

बैठक में हुआ था निर्णय, जारी हुआ था आदेश

सिंगरौली 11 नवम्बर. जिला खनिज प्रतिष्ठान सिंगरौली की 27 जून 2024 को न्यास मण्डल की 21वीं बैठक कलेक्ट्रोरेट सभागार में आयोजित की गई थी. जहां कई विभागों में एक बार फिर से करोड़ों रूपये के विभिन्न सामग्रियां क्रय करने के लिए 29 सितम्बर को मंजूरी देते हुये आदेश जारी किया है. हालांकि यह आदेश पूर्व में पदस्थ कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के कार्यकाल का है. ज्ञात हो कि न्यास मण्डल, जिला खनिज प्रतिष्ठान सिंगरौली की बैठक पिछले वर्ष 27 जून 2024 को न्यास मण्डल की अध्यक्षता में आयोजित की. बैठक में न्यास मण्डल के अध्यक्ष एवं कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला, बतौर सदस्य के रूप में राज्यमंत्री राधा सिंह, सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, विधायक रामनिवास शाह, राजेन्द्र मेश्राम, विश्वामित्र पाठक, कुंवर सिंह टेकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष सोनम सिंह, महापौर रानी अग्रवाल, नपानि अध्यक्ष देवेश पाण्डेय, सीईओ जिला पंचायत पदेन सदस्य सचिव, जिला शिक्षा अधिकारी एसबी सिंह सदस्य न्यास मण्डल मौजूद थे.

समीक्षा की गई

जिला खनिज प्रतिष्ठान सिंगरौली की निधि से स्वीकृत कार्यो, परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा, नवीन प्रस्तावों, कार्यो की स्वीकृति पर चर्चा, आय-व्यय के लेखाओं की समीक्षा की गई. विचार विमर्श उपरांत कई निर्णय लिये जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य योजना, वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन, स्वीकृति के लिए नवीन कार्यो पर चर्चा व उसके प्रगति समेत अन्य कई बिन्दुओं पर चर्चा की गई.

मुख्यमंत्री ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा

मंदसौर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोपहर 12 बजे भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों की कानून व्यवस्था की समीक्षा की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के अधिकारियों से संवाद करते हुए कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली. बैठक में मुख्यमंत्री ने भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत किसानों को की जाने वाली राशि के वितरण, जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रमों की तैयारी. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि के कार्यक्रमों की स्थिति की समीक्षा की.

अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को मिले मुआवजा

किसान कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर सौपा ज्ञापन

सिंगरौली 11 नवम्बर. किसान कांग्रेस कमेटी सिंगरौली ने आज दिन मंगलवार को कलेक्ट्रोरेट के सामने बिलौंजी में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर प्रतिनिधि को ज्ञापन सौपा है. ज्ञापन में अतिवृष्टि से प्रभावित नुकसान धान फसलो का तत्काल प्रभावित किसानों का मुआवजा सहायता राहत राशि मुहैया कराये जाने की मांग की है. धरना देते हुये कांग्रेसियों ने सभा को संबोधित करते हुये कहा कि इस वर्ष आसमयिक अतिवृष्टि के कारण किसानो के धान की फसल खराब हो जाने, जम जाने एवं सड़ जाने से फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है. जिसके कारण किसानो को काफी नुकसान हुआ हैं, किसानों को अत्यधिक क्षति के साथ-साथ मानसिक रूप से भी काफी क्षति हुई है. किसान बहुत परेशान व असहज महसूस कर रहे हैं. सौपे गये ज्ञापन में किसान कांग्रेस कमेटी ने उल्लेख किया है कि बेमौसम एवं अतिवृष्टि के चलते फसल सड़ जाने, जम जाने के कारण किसानों को काफी मात्रा में आर्थिक छति हुई हैं, जिसकी विधिवत मौके पर जांच कराया जाकर आर्थिक छतिपूति शीघ्र दिलावाया जाये. चितरंगी विकास खण्ड अंर्तगत मजरो टोला गांव में विद्युतीकरण के लिए सीएसआर एवं डीएमएफ मद से राशि स्वीकृति की गई थी, लेकिन आज तक कार्य नहीं हो सका.

तत्काल विद्युतीकरण कार्य कराया जाये. किसानों के क्रेडिट कार्ड बिल, लोन एवं बिजली का बिल बिना शर्त पूर्ण रूप से माफ किया जाये.

धान का पुअरा समेटते समय सांप ने डंसा, मौत

सिंगरौली 11 नवम्बर. कोतवाली क्षेत्र बैढ़न के ग्राम हर्रहवा निवासी एक महिला धान का पुअरा समेटते हुये उठा रही थी कि एक जहरीले सर्प ने डस लिया. जहां महिला को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय के लिए लाया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. जानकारी के अनुसार ग्राम हर्रहवा निवासी बुटुली शाह पति जवाहिर लाल शाह उम्र 55 वर्ष आज दिन मंगलवार को घर के समीप खलिहान में धान का पुअरा समेट कर उठाने जा रही थी कि हाथ की उंगली में एक जहरीले सर्प ने डस लिया. महिला को परिजनों के द्वारा उपचार के लिए जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर लाया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

पटरियां पार करने में पर्याप्त इंतजाम नहीं तो रेलवे मुआवजा देने का जिम्मेदार

जबलपुर, 11 नवंबर. मप्र हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि रेलवे ने पटरियों तक अनाधिकृत पहुंच को रोकने पर्याप्त इंतजाम नहीं किए हैं, तो रेलवे पटरी पार करते समय हुई मौतों के लिए भी मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार है.

इस मत के साथ जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने रेलवे दावा अधिकरण भोपाल के उस फैसले को निरस्त कर दिया जिसमें रेलवे को उक्त घटना के लिए जिम्मेदार नहीं माना था. अधिकरण ने माना था कि रेलवे मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि मृतक ट्रेन में नहीं चढ़े थे. एकलपीठ ने अधिकरण को निर्देशित किया है कि नियमानुसार दावेदारों को उचित मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करें. दरअसल, अप्रैल 2011 में मैहर में एक 3 वर्ष का बालक राजेश रेलवे की पटरियों पर आ गया था और उसे बचाने के लिए दो महिलाएं भी पटरी पर आ गईं और तीनों ट्रेन की चपेट में आ गईं थीं। मृतकों के परिजन सिंगरौली निवासी रामअवतार प्रजापति, सलिता प्रजापति व अन्य ने हाईकोर्ट में रेलवे दावा अधिकरण के फैसले को चुनौती दी थी. अधिकरण ने दावा निरस्त कर दिया था. दरअसल घटना के दिन 8-10 लोगों का एक समूह मैहर में एक बच्चे के मुंडन समारोह से लौट रहा था। ये लोग ट्रेन संख्या 51672 सतना-इटारसी पैसेंजर में चढ़ गए जिसमें बहुत भीड़ थी। इस कारण लोली बाई, इंद्रमती और राजेश (बालक) की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। वे एक अन्य गुजरती ट्रेन की चपेट में आ गए। हालाँकि, रेलवे ने एक लिखित बयान के माध्यम से दुर्घटना से इनकार किया और कहा कि मृतक रेलवे लाइन पार कर रहे थे, तभी एक गुजरती ट्रेन की चपेट में आ गये। पूरे मामले का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने उक्त अहम फैसला सुनाया।

रेलवे दावा आदेश निरस्त कर हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला

खाद्य सुरक्षा विभाग ने डेयरियों और खाद्य प्रतिष्ठानों से लिए नमूने

ग्वालियर, 11 नवंबर. खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने डेयरी और विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. चलित खाद्य प्रयोगशाला से खाद्य पदार्थों की मौके पर प्राथमिक जांच की. जिन खाद्य पदार्थों के नमूने मानक अनुरूप नहीं पाए उन्हें परीक्षण के लिए लिया. अपर कलेक्टर सी.बी. प्रसाद की देखरेख में की गई कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता ने जय भोलेनाथ दूध डेयरी, कोटेश्वर रोड से दूध एवं मावा के नमूने लिए. इसी तरह खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश सिंह निम ने अग्रवाल आटा चक्की, कटीघाटी से हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर के नमूने लिए. खाद्य सुरक्षा अधिकारी लोकेन्द्र सिंह द्वारा मनीष दूध डेयरी, शब्दप्रताप आश्रम रोड से घी और दही और खाद्य सुरक्षा अधिकारी निरूपमा शर्मा द्वारा कश्मीरी ड्रायफ्रूट, दानाओली से किशमिश और चायपत्ती के नमूने लिए गए. सभी नमूने जांच के लिये राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे जा रहे हैं.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन : +91 44 4564 4000, फैक्स : +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	107352779 और 51040863	संपत्ति पर ऋण	27.10.2025	रु. 1,48,61,343.27/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम :- 1. न्यू मधु 2. भरत अवतानी 3. गोपाल अवतानी 4. न्यू मधु ब्रदर्स 5. चंद्रदास अवतानी 6. जमुना देवी

संपत्ति का पता : 0.061 हेक्टेयर ज़मीन का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा जो दक्षिण दिशा में है, आवासीय रूप से परिवर्तित सर्वे नंबर 115/2/2/KH का हिस्सा (उपविभाजन और म्यूटेशन के बाद 115/2/2/KH/2), गांव- हरानियाखेड़ी, तहसील- महू, जिला- इंदौर, मध्य प्रदेश-453441 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- ए.बी. रोड, पश्चिम- सरकारी नाला, उत्तर- इस सर्वे नंबर की शेष भूमि श्री कपिल जिंदल आदि को बेची गई है, दक्षिण- वृंदावन धाम कॉलोनी की भूमि.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
2.	37835760	संपत्ति पर ऋण	31.10.2025	रु. 2,21,392.18/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम :- 1. धन्नालाल पाटीदार 2. जमुनादेवी पाटीदार

संपत्ति का पता : प्रॉपर्टी का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा जिसमें एक घर है, जिसका पंचायत रजिस्टर नंबर 426 है, कुल क्षेत्रफल 352.06 वर्ग फुट है, जो सर्वे नंबर 642, पी.एच. नंबर 19 पर स्थित है, पिपली चौक (सुनार गली), ग्राम- सरवन, तहसील- सैलाना, जिला- रतलाम, मध्य प्रदेश-475001 और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- गली, पश्चिम में- श्री रतनलाल तेली का घर, उत्तर में- श्री लालचंद टांक और श्री फतेह सिंह जी राजपूत का घर, दक्षिण में- श्री दिलीप जोशी का घर.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी /-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक : 12.11.2025
स्थान : मध्यप्रदेश

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013.

सर्किल ऑफिस पता : 9-बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित. नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं. उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) (उक्त उधारकर्ता(ओं)) को, उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस(ओं) में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं. उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर सीजीएचएफएल को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि से लेकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज भी देना होगा, जो उक्त उधारकर्ता द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पढ़े गए ऋण समझौते के तहत देय है. ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, उक्त उधारकर्ता द्वारा सीजीएचएफएल को क्रमश: निम्नलिखित संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं.

स. क्र.	उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग सूचना तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(लोन अकाउंट नंबर LNHEIN1000058505 (पुराना) 50400000536511 (नया) LNHLIND000041512 (पुराना) 50300000770645 (नया) (इंदौर 2 ब्रांच) श्री आकाश पुत्र दुलीचन्द्र (कर्जदार) श्री दुलीचन्द्र पुत्र स्वर्गीय चोंगा लाल, श्रीमती सीमा बाई, श्री निर्मल पुत्र दुलीचन्द्र (सह-कर्जदार)	24.10.2025 रु. 18,84,595/- (09.10.2025 तक)	वह पूरी ज़मीन और बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 25, सर्वे नंबर 351/2/मिन-2 के हिस्से पर, पटवारी हल्का नंबर 44 (पुराना नंबर 20), एरिया 1000 वर्गफीट यानी 92.90 वर्गमीटर यमुना नगर, गांव सोइसिंदा, तहसील सांवेर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश - 453555. जिसकी बाउंड्री इस प्रकार है- उत्तर- प्लॉट नंबर 24, दक्षिण- प्लॉट नंबर 26, पूर्व- सड़क, पश्चिम- सड़क.
2.	(लोन अकाउंट नंबर LNHLRAT000079119 (पुराना) 50300000905142 (नया) (रतलाम ब्रांच) श्री चोगालाल जाट (कर्जदार) श्रीमती सुनीता जाट (सह-कर्जदार)	24.10.2025 रु. 1,39,025/- (09.10.2025 तक)	वह पूरी ज़मीन और बिल्डिंग, मकान नंबर 88, पीएच नंबर 19, वार्ड नंबर 09. मालीपुरा, एरिया 900 वर्गफीट गांव रावटी, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश 457001. जिसकी बाउंड्री इस प्रकार है- उत्तर- सम्राट रोड की ज़मीन, दक्षिण- सड़क, पूर्व - अनूप सिंह राजपूत की प्रॉपर्टी, पश्चिम- दूसरों की प्रॉपर्टी.
3.	(लोन अकाउंट नंबर LNHLKGN000044217 (पुराना) 50300000833675 (नया) (खातेगांव ब्रांच) श्री धर्मेंद्र नाई (कर्ज़दार) श्रीमती संगीता बाई, श्री गोविंद, श्रीमती कृष्णा पत्नी गोविंद, श्री हेमंत नाई (सह-कर्ज़दार)	28.10.2025 रु. 6,33,853/- (09.10.2025 तक)	वह पूरी प्रॉपर्टी जिसमें ज़मीन और बिल्डिंग शामिल है, पटवारी हल्का नंबर 32, खसरा नंबर 107, मप्र रजिस्ट्रार नंबर 7 पेज नंबर 13 पर है. एरिया 1250 वर्गफीट या 116.17 वर्गमीटर, ग्राम झावरिया, पोस्ट-पीपल्कूटा, ज़िला-देवास, मध्य प्रदेश-455336. जिसकी बाउंड्री इस प्रकार है- उत्तर- पूर्वी राव की ज़मीन, दक्षिण- सड़क, पूर्व- दूसरों की प्रॉपर्टी, पश्चिम- सेवाराम वर्मा का घर.

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीएचएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के लागत और परिणामों के जोखिम पर होगी. उक्त उधारकर्ताओं को अधिनियम के तहत पूर्वोक्त परिसंपत्तियों को सीजीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है. कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा.

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 12/11/2025

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)
कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के लिए

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत पता : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013

शाखा का पता : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 9/1/1, सूरज भवन, दूसरी मंजिल, यस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड, इंदौर 452001

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए नोटिस (सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002 के नियम 8 (6) के साथ नियम 9 (1) के तहत)

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के तहत और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 8 (6) और नियम 9 (1) के साथ पढ़े जाने वाले अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए 15 दिन का ई-ऑक्शन नोटिस

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से नीचे बताए गए कर्जदार और सह-कर्जदार, या उनके कानूनी वारिस/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि नीचे बताई गई अचल संपत्ति जो टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (TCHFL) के पास गिरवी रखी गई है, जिसका कब्ज़ा TCHFL के अधिकृत अधिकारी ने ले लिया है, उसे नीचे बताए गए कर्जदार और सह-कर्जदारों से बकाया वसूली के लिए 28-11-2025 को 'जैसा है जहां है' और 'जैसा है वैसा है' और 'जो कुछ भी है' और बिना किसी कानूनी कार्रवाई के आधार पर बेचा जाएगा. रिजर्व प्राइस और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नीचे बताया गया है. इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि, बिक्री के किसी भी स्थगन/रोक के अभाव में, उक्त सुरक्षित संपत्ति/संपत्ति को 28-11-2025 को दोपहर 2.00 बजे ई-ऑक्शन द्वारा बेचा जाएगा. ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिए EMD के डिमांड ड्रॉफ्ट वाला सीलबंद लिफाफा TCHFL के अधिकृत अधिकारी को 27-11-2025 को शाम 5.00 बजे तक या उससे पहले ब्रांच पते पर जमा करना होगा: TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED, 9/1/1, सूरज भवन दूसरी मंजिल, यस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड, इंदौर 452001 सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसा है जहां है' की स्थिति में होगी जैसा कि नीचे संक्षिप्त विवरण में बताया गया है :-

क्र. सं.	लोन खाता संख्या	कर्जदार(ओं) का नाम सह-कर्जदार(ओं) कानूनी वारिस(ओं)/कानूनी प्रतिनिधि/ गारंटर	डिमांड नोटिस की तारीख	रिज़र्व प्राइस	बकाया राशि
1.	TCHHF0284000100068767 & 9897170 & TCHHF0284000100084488 & TCHHF0284000100085653 & TCHHL0284000100084902	श्री प्रेम रतन बोथरा श्रीमती प्रीति बोथरा	रु. 1792542/- (रुपए सत्रह लाख बानवे हज़ार पाँच सौ बयालीस मात्र) एग्रीमेंट नंबर TCHHF0284000100068767 के तहत आपके द्वारा देय है और रु. 6029841/- (रु. साठ लाख उनतीस हज़ार आठ सौ इकतालीस मात्र) एग्रीमेंट नंबर 9897170 के तहत आपके द्वारा देय है और रु. 5004290 (रु. पचास लाख चार हज़ार दो सौ नब्बे मात्र) एग्रीमेंट नंबर TCHHF0284000100084488 के तहत आपके द्वारा देय है और रु. 4569589 (रु. पैंतालीस लाख उनहत्तर हज़ार पांच सौ नवासी मात्र) एग्रीमेंट नंबर TCHHF0284000100085653 के तहत आपके द्वारा देय है और रु. 4675193 (रु. छियालीस लाख पिचहत्तर हज़ार एक सौ तिरानवे मात्र) एग्रीमेंट नंबर TCHHL0284000100084902 के तहत आपके द्वारा देय है और कुल मिलाकर रु. 22071455/- (रु. दो करोड़ बीस लाख इकहत्तर हज़ार चार सौ पचपन मात्र) 31-05-2023	रु. 1,62,00,000/- (रुपए एक करोड़ बांसठ लाख मात्र) बयाना जमा (EMD):- रु. 16,20,000- (रुपए सोलह लाख बीस हज़ार मात्र) कब्जे का प्रकार- भौतिक	रु. 2501934/- (रु. पच्चीस लाख एक हज़ार नौ सौ चौंतीस मात्र) एग्रीमेंट नंबर TCHHF0284000100068767 के तहत आपके द्वारा देय है और रु. 8471582/- (रु. चौरासी लाख इकहत्तर हज़ार पांच सौ बयासी मात्र) एग्रीमेंट नंबर 9897170 के तहत आपके द्वारा देय है और रु. 7112073- (रु. इकहत्तर लाख बारह हज़ार तिहत्तर मात्र) एग्रीमेंट नंबर TCHHF0284000100084488 के तहत आपके द्वारा देय है और रु. 6312075 (रु. तिरेसठ लाख बारह हज़ार पिचहत्तर मात्र) एग्रीमेंट नंबर के तहत आपके द्वारा देय है. TCHHF0284000100085653 और रु. 6545763 (रु. पैंसठ लाख पैंतालीस हज़ार सात सौ तिरेसठ मात्र) एग्रीमेंट नंबर TCHHL0284000100084902 के तहत आपके द्वारा देय है. कुल मिलाकर रु. 30943427-(रु. तीन करोड़ नौ लाख तिरतालीस हजार चार सौ सत्ताइस मात्र) 31-10-2025

अचल संपत्ति का विवरण- एनआरके विलाज़ के फ्लैट नंबर 101, पहली मंजिल का पूरा हिस्सा, म्युनिसिपल हाउस नंबर 22, (पूर्वी भाग) ब्लॉक नंबर 13-8 मनोरमागंज, स्ट्रीट नंबर 2, इंदौर सुपर बिल्ट अप एरिया 2570 वर्गफीट. घिरा हुआ पूर्व- बिल्डिंग और लॉबी की खुली जगह, पश्चिम- बिल्डिंग की खुली जगह, उत्तर- बिल्डिंग की खुली जगह, दक्षिण- -बिल्डिंग की खुली जगह.

नोट- एसए उधारकर्ता द्वारा दायर किया गया है TCHFL (SA/1138/2023) का मामला DRT, जबलपुर में पेंडिंग है, इस मामले में TCHFL के खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर पास नहीं किया गया है. बोली लगाने वालों को बोली जमा करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करने की सलाह दी जाती है. नीलामी मुकदमे के नतीजे पर निर्भर होगी.

क्र. सं.	लोन खाता संख्या	कर्जदार(ओं) का नाम	डिमांड नोटिस की तारीख	रिज़र्व प्राइस	बकाया राशि
2.	10179825 & TCHIN02840001002555572	श्री कृष्णाराव देशमुख श्रीमती सयाबाई नामदेव देशमुख	आपके ऊपर एग्रीमेंट नंबर 10179825 के तहत रु. 6,31,718/- (रु. छह लाख इकतीस हज़ार सात सौ अट्ठारह मात्र) बकाया है और एग्रीमेंट नंबर TCHIN0284000100255572 के तहत रु. 4,67,099 (रु. चार लाख सड़सठ हज़ार निन्यानवे मात्र) बकाया है. कुल मिलाकर रु. 10,98,817/- (रु. दस लाख अट्ठानवे हज़ार आठ सौ सत्रह मात्र) 15-05-2024	रु. 10,90,000/- (रु. दस लाख नब्बे हज़ार मात्र) अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (EMD):- रु. 1,09,000 (रु. एक लाख नौ हज़ार मात्र) कब्जे का प्रकार- भौतिक	आपके ऊपर एग्रीमेंट नंबर 10179825 के तहत रु. 861398/- (रु. आठ लाख इकसठ हज़ार तीन सौ अट्ठानवे मात्र) बकाया है और एग्रीमेंट नंबर TCHIN0284000100255572 के तहत रु. 593532- (रु. पांच लाख तिरानवे हज़ार पांच सौ बत्तीस मात्र) बकाया है. कुल मिलाकर रु. 1454930/- (रु. चौदह लाख चौवन हज़ार नौ सौ तीस मात्र) 31-10-2025

अचल संपत्ति का विवरण- अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा, प्लॉट नंबर A-41, प्रभातम ऑयस्टर सिटी का दक्षिणी भाग, जो गांव कलिबिलोड तहसील देपालपुर जिला इंदौर में सर्वे नंबर 50/1, 51/1 और 51/2 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 491.945 वर्ग फुट है. सीमाएँ- पूर्व- प्लॉट नंबर A-30, पश्चिम- कॉलोनी रोड, उत्तर- प्लॉट का बचा हुआ हिस्सा, दक्षिण- प्लॉट नंबर A-42.

नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है. हालांकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी ड्यूटी करने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची जा रही अचल संपत्ति में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, न ही उसे खरीदेगा या खरीदने की कोशिश करेगा.

बिक्री सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम, 2002 में बताई गई शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी.

नोट :- प्रॉपर्टी की ई-नीलामी पोर्टल https://auctionbazaar.com पर 28-11-2025 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच होगी, जिसमें हर बार 5 मिनट का सीमित एक्सटेंशन होगा.

नियम और शर्तें :- 1. नीचे दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिए गए हैं, लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे. बोली की राशि या बोली लगाने वाले के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, अचल संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारी के विवेक के अधीन तुरंत पुन: नीलामी के लिए रखा जाएगा. 2. अचल संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी. 3. बोली वृद्धि राशि होगी- रु. 10,000/- (रुपए दस हजार मात्र). 4. संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्तुत सभी बोलियों के साथ ऊपर उल्लिखित बयाना राशि, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में संलग्न होनी चाहिए, जो शाखा के पते पर देय होगी. नीलामी के बाद असफल बोलीदाताओं को डिमांड ड्रॉफ्ट वापस कर दिए जाएंगे. एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें. 5. उच्चतम बोली लगाने वाले को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा, बशर्ते कि वह कानूनी रूप से बोली लगाने के योग्य हो और यह भी कि बोली की राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो. जब प्रस्तावित मूल्य इतना स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होता है कि ऐसा करना अवांछनीय है, तो उच्चतम बोली को अस्वीकार करना प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर होगा. 6. दर्ज कारणों से, बिक्री को स्थगित/बंद करना प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर होगा. 7. 18-11-2025 को सुबह 11 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच, पूर्व नियुक्ति के साथ. 8. सफल बोलीदाता के रूप में घोषित व्यक्ति, ऐसी घोषणा के तुरंत बाद, खरीद राशि/बोली की राशि का पच्चीस प्रतिशत जमा करेगा जिसमें 24 घंटे के भीतर प्राधिकृत अधिकारी को ईएमडी राशि शामिल होगी और ऐसी जमा राशि के भुगतान में चूक होने पर, संपत्ति को तुरंत निजी संधि द्वारा नई नीलामी/बिक्री के लिए रखा जाएगा. 9. यदि प्रारंभिक जमा उपरोक्त अनुसार किया जाता है, तो देय खरीद राशि की शेष राशि क्रेता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति की बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले, उस दिन को छोड़कर, या यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश है तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर भुगतान की जाएगी. 10. ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर किसी भी भुगतान में चूक की स्थिति में, संपत्ति को निजी संधि द्वारा नई नीलामी/बिक्री के लिए रखा जाएगा. ईएमडी सहित जमा राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता संपत्ति पर सभी दावे खो देंगे. 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को ज्ञात किसी भी भार का विवरण, जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है- उपरोक्त तालिका के अनुसार. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे संपत्ति पर भार के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करें, जिसमें संपत्ति कर, बिजली आदि के वैधानिक दायित्व शामिल हैं. 12. किसी अन्य विवरण या ऑनलाइन प्रशिक्षण एक-नीलामी प्रक्रिया के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता, ARCA EMART PRIVATE LIMITED, 6-3-1090/1/1, द्वितीय तल, भाग B, उमा हैदराबाद हाउस, राजभवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500082 ईमेल आईडी- contact@auctionbazaar.com/support@auctionbazaar.com या मनीष बंसल, ईमेल आईडी Manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी मोबाइल नंबर 8588983696 से संपर्क कर सकते हैं. कृपया अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर-9999078669 पर भेजें. 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर 1% का टीडीएस लागू होगा और उच्चतम बोली लगाने वाले को देय होगा. उच्चतम बोली लगाने वाले को यह भुगतान मालिक/उधारकर्ता(ओं) के पैन कार्ड में जमा करना होगा और चालान की प्रति हमारी कंपनी को जमा करनी होगी. 14. उपरोक्त विवरण के लिए कृपया सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट https://surl.li/olxruu पर दिए गए लिंक को देखें. 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएँ- https://www.tatacapital.com/property-disposal.html

कृपया ध्यान दें - TCHFL ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी भी दलाल/एजेंट को नियुक्त नहीं किया है। इच्छुक पक्ष इस मामले में सभी प्रश्नों और पूछताछ के लिए केवल.

स्थान : इंदौर
दिनांक : 12-11-2025

हस्ता./- अधिकृत अधिकारी
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि.